



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 1978/फाल्गुन 22, 1899

No. 124] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 1978/PHALGUNA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सक

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1978

का. आ. 173(अ).—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पीठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिरुचना सं. 318/78(4), तारीख 8 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, प्रविष्टि सं. 14-राजस्थान के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, 'उप सचिव (1), राजस्थान विधान सभा, जयपुर' प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. 318/78(4)]

आदेश से,

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1978

S. O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby makes the following amendment to its notification No. 318/78(4), dated the 8th March, 1978, namely :—

For the existing entry in column 2 of the Table appended to the said notification, against the entry 14. Rajasthan, the entry "The Deputy Secretary (I), Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur" shall be substituted.

[No. 318/78(4)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.